

## किसानों के लिए आंशिक सुरक्षा

**प्रश्नपत्र, III (भारतीय अर्थव्यवस्था)**

**विषय, टैग: कृषि बीमा, किसान संबंधित मुद्दों, आय सुरक्षा, समावेशन**

**यूपीएससी की प्राथमिक और मुख्य लेख का उपयोग:** यह लेख सरकार द्वारा शुरू की गयी एक नयी फसल बीमा योजना के विषय में है जो की पुरानी फसल बीमा योजनाओं की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से लायी गयी थी। लेकिन अब प्रतीत होता है कि यह योजना भी कार्यान्वयन की खामियों की वजह से रुक सी गयी है। इस लेख में हम एक नए दृष्टिकोण पर ध्यान देंगे कि हम कैसे पुराने अनुभव से सीख लेकर नयी फसल बीमा योजना को सफलता से सुनिश्चित कर कृषक समुदाय की एक बड़ी आबादी तक इस योजना की पहुँच को स्थापित कर सकते हैं, बैंकों को इसके लिए एक प्रमुख भूमिका में आना होगा और किसानों की बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने पर ध्यान देना होगा। नई भुगतान बैंकों और छोटे बैंकों को इस प्रक्रिया के लिए सक्षम होना होगा।

**परिचय:**

- अर्थव्यवस्था में विमृदीकरण चाल, नरेंद्र मोदी सरकार, द्वारा अपने कार्यकाल के मध्य में आ कर लिया गया है इसी बीच 26 नवंबर को लिए गए एक अहम फैसले पर लोगों का ध्यान नहीं गया है मसलन सरकार के कार्यकाल मध्यकाल उसके थामने के लिए और प्रतिबिंबित करने का एक अवसर होता है।
- वस्तुतः यहां चर्चा कृषि के संदर्भ में हो रही है, जिसमे रोजगार के रूप में देश की आधी से ज्यादा संलग्न रहती है। जैसा कि सर्वज्ञ है इस सरकार के पहले दो वर्षों का कार्यकाल सूखे से प्रभावित रहा है, और कृषि जीडीपी विकास 0.5 प्रतिशत तक नीचे गिर गयी है। मराठवाड़ा जैसे कुछ क्षेत्रों के गंभीर संकट का अनुभव किया। लेकिन इस अवसर पर, बुरे समय अच्छी नीतियों को बनाने का एक अवसर भी होता है।
- मोदी सरकार ने प्रकृति के प्रकोप और उससे उत्पन्न होने वाले-जोखिम से कृषि के कृषि के बचाव हेतु फरवरी 2016 में एक नई फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफवीवाई), का शुभारंभ किया गया था। खरीफ 2016 इस योजना का पहला सत्र था। मसलन यह इस योजना में सुधार करने एवं इसमें परिवर्तन कर इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का एक अच्छा समय है।

**कृषि बीमा क्षेत्र में इस प्रकार के परिवर्तन क्यों किये गये हैं?**

- इस पहल के शुभारंभ से पहले, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और संशोधित एनएआईएस (एमएनएआईएस) अच्छी तरह से किसानों के हितों के अनुकूल कार्य कर रही थी। एमएनएआईएस के तहत बीमा विशेष रूप से जोखिम भरा फसलों और जिलों के लिए, अल्प था। यह या तो फसल ऋण की मात्रा पर या बीमित राशि की कैपिंग के आधार पर निर्धारित किया जाता था; फसल नुकसान का आकलन फसल काटने के प्रयोगों का आधार एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी, और किसानों को मुआवजा अक्सर कई महीनों -और कई बार साल बीत जाने के बाद भी नहीं मिल पाता था।

- सरकार ने इस सब में सुधार का फैसला किया है, और पीएमएफवीवाई जो कि एक नयी योजना है के अनुसार, प्रत्येक जिले में एक तकनीकी समिति किसानों द्वारा किए गए नुकसान के दावे की हर कीमत लेने के बीमित राशि के लिए "वित्त के पैमाने" का फैसला करेगी। प्रीमियम किसी भी कैपिंग के बिना, एक बीमांकिक आधार पर तय की जाती हैं।
- बाकी, सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से विभाजित है। उच्च प्रौद्योगिकी में स्मार्टफोन, जीपीएस, ड्रोन और उपग्रहों का उपयोग किया जायेगा जो सहित सटीकता, पारदर्शिता, और नुकसान के दावों का आकलन और तेजी से करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

### पिछली योजनाओं के साथ नई योजना की तुलना:

- इस योजना का उचित मूल्यांकन, के लिया इसका एनएआईएस और एमएनएआईएस के साथ तुलना किया जाना आवश्यक है जिसे पिछले तीन वर्षों में, विशेष रूप से खरीफ 2013, को ध्यान में रख जब सामान्य बारिश हुई थी। साथ ही खरीफ 2015, जब एक गंभीर सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई थी को भी ध्यान में रख कर आंकलन करना होगा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए एक अलग प्रकार की योजना है जो अपने पहले के अवतार में जारी है।
- मसलन इस योजना में कार्यान्वयन से सम्बंधित बाधाओं को काफी हद तक दूर करने की भी आवश्यकता होगी इससे सरकारी खजाने पर बोझ कम आएगा जिससे किसानों को अधिक सेवाएं और लाभ पहुंच सकेंगे,। इस योजना के साथ पहली समस्या यह है कि बीमांकिक प्रीमियम, कवरेज के बढ़ते स्तर के साथ इसमें बजाय, का ऊपर चला जाना है। मसलन यह बीमा के तर्क को खारिज कर देता है, इसमें प्रीमियम की राशि अनुमानित पैमाने पर बढ़ जाती है।
- गहरी खुदाई पर, हमने पाया है कि राज्यों में जो निविदा प्रक्रिया जल्दी पूरा प्रीमियम चार से आठ प्रतिशत से लेकर दसों मिल गया है, लेकिन कई राज्यों ने जो देर हो गई थी काफी ज्यादा प्रीमियम दसों मिल गया है, 20 प्रतिशत के रूप में उच्च छू।

### नई फसल बीमा योजना से सम्बंधित चुनौतियां

- नई फसल बीमा योजना के दो कोणों से देखा जाना चाहिए।
  - पहला यह है कि वहाँ प्रकृति के प्रकोप जो अक्सर कम उत्पादन या अतिरिक्त बेमौसम वर्षा की वजह से फसलों को नष्ट होने पर है कृषि उत्पादन में काफी उतार-चढ़ाव रहता है।
1. यह किसानों के लिए एक वित्तीय संकट बन सकता है, वह किसान जो अपने कर्ज को समय से नहीं दे पाते हैं वह एनपीए को बढ़ावा दे सकते हैं और बैंकिंग प्रणाली इस प्रकार इससे काफी दबाव पड़ता है।
  2. छोटे किसानों को इसमें केंद्रित जा सकता है क्योंकि विशेष रूप से कमजोर वर्ग के हैं। वर्तमान में चल रही योजना कई छोटे किसान बड़े किसानों के बीच भेद नहीं करती है जो पहचान का संकट जैसा मुद्दा उठा देती है।

3. योजना को इस भावना से कार्य करना चाहिए कि इसके अन्तर्गत चलने वाली प्रक्रिया निरंतर होगी इसलिए सभी दावों को निरंतर स्तर पर भुगतान करना इसके अन्तर्गत आवश्यक होगा। इसके अलावा, इसमें बीमा की भारी मात्रा को देखते हुए बीमा कंपनियों को इस तरह के लेनदेन को संभालने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।
4. व्यवस्था के हिस्से के रूप में, प्रीमियम का आकलन करने के लिए भूमि रिकार्ड को भी व्यवस्थित करने की जरूरत है।
5. हम विभिन्न क्षेत्रों में मौसम का डेटा है कि आईएमडी द्वारा नहीं भेजे जाने की स्थिति में भी रखने की तथा आवश्यकता के अनुसार उसे उपयोग करने की जरूरत है। निजी कंपनियों द्वारा प्रयासों एनसीएमएसएल (नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड) द्वारा मौसम स्टेशनों को बनाने और उसी के आधार पर प्रीमियम और सभी निर्णय साथ ही भुगतान के लिए इस डेटा पर आधारित निर्णय लेने की आवश्यकता है।
6. पिछले है, फसल ऋण की परंपरा कमजोर रही है जो अक्सर के ऋण देने में बैंकों को एक मज़बूरी का कार्य समझने के लिए प्रोत्साहित करती है।

#### अतिरिक्त मुद्दों:

- कुछ बीमा कंपनियों से पता चलता है कि क्योंकि कंपनियों और उनकी पुनः बीमा कंपनियों को अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा, और उसके बाद बीमा के लिए उच्च प्रीमियम की शुरुआत की जा सकती है।
- उम्मीद है, प्रतिस्पर्धा के साथ, इन दरों में काफी गिरावट भी हो सकती है कई बार 100 मीटर हेक्टेयर भूमि को कवर करने पर यह दर तीन फीसदी तक भी पहुंच सकती हैं। यह राजकोष को भारी बचत के साथ लाभ भी पहुंच सकती है।
- लेकिन किसी भी बीमा योजना की अग्रिपरीक्षा इस आधार पर की जा सकती है कि यह कितनी जल्दी किसानों को लाभ और कितनी तेजी से यह उनके दावे का भुगतान कर सकती हैं।
- हालांकि, (उदाहरण के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और असम) जो बाढ़ सामना कर रहे थे, और किसानों को उनकी फसलों को हुए नुकसान के आकलन को निरीक्षण द्वारा किया जाना चाहिए। ड्रोन का उपयोग इस कार्य के लिए किया जा सकता है। दिशा निर्देशों के लिए, स्मार्ट फोन फील्ड अधिकारियों को दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए राज्यों को कंपनियों के लिए प्रीमियम का अग्रिम भुगतान करना होगा, लेकिन कई मामलों में यह नहीं किया गया है। नतीजतन, केवल प्रभावित किसानों का एक मामूली रूप अब तक मुआवजा मिला है। जो कि किसी भी रूप से प्रेरणादायक नहीं है।

#### निष्कर्ष:

- जब तक एक प्रभावी नीति प्रभावी क्रियान्वयन से लागू नहीं की जाती है, तब तक यह पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता है। सरकार पीएमएफवीवाई पर 16,000 से अधिक करोड़ रुपये खर्च कर रही है, लेकिन मात्रा "चलता है" जैसे दृष्टिकोण से इस सब का समाधान नहीं हो सकता है कुछ राज्यों का रवैया इस योजना को

असफल बना सकता है। हमें पीएमएफवीवाई के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। उसके बाद ही यह वास्तव में किसानों की सेवा कर सकेगा।

---

### प्राथमिक परीक्षा के लिए प्रश्न:

पीएमएफवीवाई (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

1. पीएमएफवीवाई (प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना) को 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था।
2. इसके अन्तर्गत केवल 2 फीसदी खरीफ फसलों और रबी फसलों के लिए 1.5 फीसदी का भुगतान किसानों के लिए तय किया गया है।
3. वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर 5 प्रतिशत तय की गयी है।

निम्नलिखित कथनों में से कौन सा / से सही हैं:

- A. केवल 1
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. उपयुक्त सभी सत्य हैं।

### मुख्य परीक्षा लिए प्रश्न:

कई फसल बीमा योजना को लागू करने के बावजूद, किसानों को अभी भी फसल पर सुनिश्चितता प्राप्त नहीं हुई है क्या आपको लगता है कि पीएमएफवीवाई (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) इस समस्या का एक ही समाधान है जो किसानों को जोखिम से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान कर सकती हैं। संक्षिप्त में चर्चा करें।

### सुझाव बिंदु:

1. कई बीमा योजनाओं जो पीएमएफवीवाई से पहले चल रही के बारे में संक्षेप में चर्चा करें।
  2. इन योजनाओं के उद्देश्यों।
  3. क्यों यह योजनाओं विफल रही है।
  4. पीएमएफवीवाई के बारे में चर्चा करें।
  5. इसके उद्देश्यों और कैसे पिछले योजनाओं की असफलता को कैसे यह दूर कर सकती हैं।
  6. इस योजना के पक्ष और विपक्ष के बारे में भी चर्चा करें।
  7. यह योजना किसानों की माली हालत में कैसे सुधार कर सकती है इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिये।
-